शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री पंकज पुष्कर.

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 291

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के तिमारपुर के अंतर्गत आनेवाले वजीराबाद गांव, रामघाट एवं संगम विहार कॉलोनी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की भवन निर्माण की नीति क्या है;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** बजीराबाद गांव में भवन निर्माण की संस्तुति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जा सकता है। रामघाट एवं संगम विहार अनाधिकृत कॉलोनी होने की वजह से भवन निर्माण की संस्तुति प्रदान नहीं की जाती है ।
ख	क्या यह सत्य है कि यमुना के किनारे स्थित इस क्षेत्र में कभी भी किसी आपदा का समाना करना पड़ सकता है,	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** जी हां।
ग	क्या यह भी सत्य है कि यहां पर बीते 2 वर्षो में अंधाधुंध 5–6 मंजिला भवनों का निर्माण किया जा रहा है और इनमें कई भवन एक ओर झुक गए हैं;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** भवनों के निर्माण के विषय में कोई रिकार्ड तैयार/उपलब्ध नहीं है तथा झुकने संबंधी कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि निर्माण अवैध पाये जाने पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत 123 सम्पत्तियों को 01.04.2016 से बुक किया गया है। झुकने संबंधी सूचना संज्ञान में आते ही भवन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है।
घ	वजीराबाद गांव, रामघाट एवं संगम विहार के क्षेत्र में वर्ष 2016–17 में तथा अप्रैल 2017 से जनवरी 2018, तक कितने बहुमंजिला भवन बने हैं;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** बहुमंजिला भवनों के सन्दर्भ में कोई रिकार्ड तैयार/उपलब्ध नहीं है। तथापि 01.04.2016 से 31.03.2017 तक 54 एवं 01.04.2017 से 31.01. 2018 तक कुल 69 सम्पत्तियों को पुराने वार्ड संख्या 10 एवं नये वार्ड संख्या 12 के अन्तर्गत बुक किया गया है।
च	वजीराबाद गांव, रामघाट एवं संगम विहार के क्षेत्र में 2016–17, अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक कितने भवनों का नक्शा पास हुआ है;	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** भवन विभाग, सिविल लाईन क्षेत्र के द्वारा कोई नक्शा स्वीकृत नहीं हुआ है।
छ	यदि इन भवन का नक्शा पास हुआ है, तो उससे उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कितने राजस्व की हानि हुई है; पूर्ण विवरण दें; और	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्त 'च' के अनुसार
ज	अप्रैल 2016 से अब तक अवैध–निर्माण को रोकने के लिए कौन–कौन अधिकारी जिम्मेदार रहे, उनका नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर क्या है?	**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** भवन विभाग, सिविल लाईन क्षेत्र, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस (भारत सरकार) एवं सम्बन्धित (एस.डी.एम.) दिल्ली सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही हेतु जिम्मेदार है।

R. S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat